(21)

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण कमांक 2016 जिला गुना

R-3818-PBR/16

श्री .... द्वारा आज दि. 7-11-16 को प्रस्तुत

क्लर्क 7/11/16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

467
7-11-16

राजबहादुर सिंह पुत्र श्री इन्दरसिंह जी राजपूत आयु 61 साल निवासी कुम्भराज जिला गुना म.प्र. ....आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला गुना म.प्र .....अनावेदक/अपुनरीक्षणकर्ता

रिवीजन पत्र अर्न्तगत धारा 50 भू.रा.स 1959 माननीय न्यायालय श्री मान अनुविभागिय अधिकारी महोदय चाचौडा के द्वारा प्रकरण कमांक 3660/रीडर-2/2016 मे कि जा रही कार्यवाही एंव सूचना पत्र दिनांक 29/10/16 से असतुष्ट होकर यह रिवीजन अदंर अवधि नियत न्याय शुल्क सहित श्री मान के श्रवणक्षेत्राधिकार के अर्न्तगत प्रस्तुत है।

Sd/-
Adv.

माननीय महोदय,

पुनरीक्षण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

01: यह हे कि माननीय न्यायालय श्री मान अनुविभागिय अधिकारी महोदय चाचौडा जिला गुना म.प्र. ने सूचना पत्र कमांक रीडर-2/16 दिनांक 29.10. 2016 का सूचना पत्र इस आशय का दिया गया कि कस्बा कुम्भराज तहसील कुम्भराज कि भूमि सर्वे कमांक 815/883 रकवा 0.993 हेक्टयर भूमि हरिजन आदिवासियो को पट्टे पर शासन द्वारा दी गयी थी जो शासकिय अभीलेख मे प्रभु पुत्र गोरया चमार के नाम भू दान कषक के रुप मे दर्ज थी जिसको कलेक्टर के अनुमति के विना कय कर भूमि मे से प्लाट अन्य लोगो को विकय कर दिया हे जो शासन के नियामे के विपरीत हे क्यो ना आपके विरुद्व अनुशंसात्मक कार्यवाही कि जाये का सूचना पत्र दिया यह सूचना पत्र विधि विपरीत होने व विना मामला के व अधिकार क्षेत्र ना होने से दिया गया है। यह सूचना पत्र ही रिवीजनाधीन आदेश हे जिसे आगे रिवीजन मे रिवीजनाधीन आदेश से सम्वोधित किया गया है।

पुनरीक्षण के आधार-

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–3818–पीबीआर/2016 जिला–गुना

राजबहादुर विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6–08–2019	प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी चाचौड़ा के प्रकरण क्रमांक 3660/रीडर–2/2016 में पारित आदेश दिनांक 29–10–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27–07–2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25–9–2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–गुना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 3/ पक्षकार दिनांक 09–09–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	